न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी, थानागाजी जिला अलवर।

पीठासीन अधिकारी :– कैलाश चन्द शर्मा द्वितीय (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 01/192

तारीख दायर :– 10/08/2018

उनवान

1. छीतर पुत्र गोरधन जाति कुम्हार निवासी ग्राम लालपुरा तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान।

–वादी।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान जिलाधीश महोदय जिला अलवर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भू–स्वामी थानागाजी तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान।

–असल प्रतिवादीगण।

॥ राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत ॥

उपस्थिति :–

1. श्री नरेश कुमार शर्मा एडवोकेट वादी।

2. कोई उप0 नही एडवोकेट प्रतिवादीगण असल।

न्यायालय द्वारा :–

निर्णय दिनांक:– 03.01.2019

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम माधोगढ तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान में मुताबिक राजस्व रिकार्ड व मौका आराजी हाल खसरा नम्बर 352 रकबा 1.2000 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम 349 रकबा 0.3000 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम स्थित चली आती है। उक्त हाल खसरा नम्बर 352 व 349

(उपखण्ड अधिकारी थानागाजी (अलवर))

Scanned by CamScanner

साबिक खसरा नम्बर 311 मिन से बना है, जो आराजी दावा हाजा में विवादित बयान दर्ज की गई है।

उक्तानुसार जिम्मन नम्बर एक में वर्णित आराजी साबिक खसरा नम्बर 311 मिन किस्म बारानी प्रथम भूमि मे से 05 बीघा आराजी वादी को दिनांक 31/01/1976 को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 101 के अन्तर्गत कृषि प्रयोजनार्थ नियमानुसार जरिये आवॅटन आदेश पत्र आवॅटित की गई थी तथा आवॅटित कर मूल आवॅटन आदेश पत्र/पट्टा वादी के नाम जारी कर मौके पर आवॅटनशुदा आराजी पर अलोटी वादी को दखल देकर कब्जा बैहैसियत मालिक/अलोटमेन्ट धारक वादी को सम्हला दिया गया था।

उक्तानुसार आवॅटन के बाद आवॅटित आराजी पर मौके पर वादी बैहैसियत मालिक काश्तकार काबिज एवं दाखिल रहकर उक्तानुसार आराजी का उपयोग उपभोग कार्यकाश्त करता चला आता है। एवं मौके पर आज भी बैदस्तूर काबिज एवं दाखिल है। जिस आराजी सालिम से वादी के अलावा प्रतिवादीगण या अन्य किसी दीगर व्यक्ति का कोई लेना देना कब्जा काश्त संबंध सरोकार किसी प्रकार का नही है।

प्रतिवादीगण संख्या एक व दो के अधिनस्थ राजस्व कर्मचारियों ने उक्तानुसार आवॅटन के बाद उसी समय याने के सन 1976 में आवॅटी वादी को आवॅटित आराजी रकबे पर मौके पर दखल करवाकर कब्जा बैहैसियत मालिक सम्हला दिया था व मौखिक रूप से जल्दी ही राजस्व रिकार्ड में इसका अमल करने का आश्वासन दे दिया गया था। चूँकि वादी अनपढ व ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है, जो कानून का जानकार नही है, जिससे उसे उक्त आवॅटन के आधार पर उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में अमल होने/ करवाने बाबत कोई जानकारी थी। आवॅटन के बाद आवॅटन के समस्त नियम व शर्तों की अनुपालना करते हुये उक्त आराजी पर वादी बैहैसियत मालिक काबिज है।, जिस आराजी पर वादी के अलावा अन्य किसी दीगर व्यक्ति का कोई कब्जा काश्त लेनादेना नही है। आवॅटन के नियमानुसार उक्त आराजी बाबत खातेदारी अधिकार वादी को काफी समय पूर्व ही राजस्थान सरकार के अधिकृत प्रतिनिधी प्रतिवादीगण संख्या एक

उपखण्ड अधिकारी
गानगाजी (अलवर)

Scanned by CamScanner

व दो द्वारा प्रदत्त कर दिये जाने चाहिये थे, किन्तू आवॅटन के बाद आज तक करीब 40 साल का समय गुजर जाने के बावजूद आज दिनांक तक उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में वादी को खातेदार दर्ज कर खातेदारी अधिकार प्रदत्त नही किये जिससे आज भी उक्तानुसार आवॅटित आराजी के हाल राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में बैखाने काश्तकार सिवायचक लगानी दर्ज चला आता है। जबकि वैधानिक रूप से आवॅटन के बाद ही प्रतिवादीगण द्वारा उक्त आराजी के राजस्व रिकर्ड जमाबंदी में बैखाने काश्तकार वादी को खातेदार दर्ज कर देना चाहिये था, जिससे वादी को उक्तानुसार आराजी के हाल राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में सिवायचक लगानी का दर्जशुदा अंकन कतई गलत खिलाफ कानून व खिलाफ मौका है जिसकी ताईद में मूल आवॅटन आदेश पत्र/पट्टा व साबिक जमाबंदी व हाल राजस्व रिकार्ड जमांबदी व मिलान क्षेत्रफल की नकले संलग्न वादपत्र पेश है।

उक्तानुसार वादी के कब्जे काश्त मालिकाने हक की आराजी के हाल राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में बैखाने काश्तकार सिवायचक लगानी का अंकन कतई गलत, खिलाफ कानून व खिलाफ मौका है तथा वादी के हकूको के मुकाबले बातिल व बेअसर है। वादी की उक्तानुसार आराजी के हाल राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में बैखाने काश्तकार वादी का नाम दर्ज नही होकर सिवायचक लगानी दर्ज होने से वादी को भारी परेशानी हो रही है।, तथा सरकार द्वारा देय कई लाभकारी योजनाओं से वंचित होना पड रहा है। उक्तानुसार आराजी बाबत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतू वादी ने कई बार प्रतिवादीगण संख्या दो श्रीमान तहसीलदार थानागाजी को प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किये व मौखिक निवेदन किया किन्तु आज तक वादी के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में से सिवायचक लगानी के अंकन को कलमजन कर वादी को उक्तानुसार आवॅटन की अनुपालना में खातेदार दर्ज नही किया गया है। जिससे अब उक्तानुसार आवॅटित आराजी के हाल राजस्व रिकार्ड में सिवायचक लगानी के अंकन को कलमजन किया जाकर उक्तानुसार आवंटित आराजी के हाल राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में वादी को खातेदार दर्ज किया जाना न्यायहित में आवश्यक हुआ है। जिस बाबत यह वादपत्र पेश है।

राजस्व अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

Scanned by CamScanner

दिनांक 30/07/2018 को प्रतिवादीगण संख्या दो के कारिन्दे/अधिनस्थ कर्मचारी वादी की उक्तानुसार कब्जे काश्त मालिकाने हक की आराजी में मौके पर आये व वादी की उक्त आराजी के कब्जेकाश्त उपयोग उपभोग में मजाहमत पैदा की, एवं कहा कि यह आराजी हाल राजस्व रिकार्ड में सिवायचक लगानी दर्ज है जिसके आधार पर हम तुमको इस आराजी से मौके पर से बेंदखल करके रहेगें व कार्यकाश्त नही करने देगें।

यदि प्रतिवादीगण ने उक्तानुसार हाल गलत राजस्व रिकार्ड का नाजायज फायदा उठाते हुये वादी को उसकी कब्जे काश्त मालिकाने हक की आराजी से जबरन बेदखल कर अपना कब्जा कर लिया व आराजी के कुल कार्यकाश्त में किसी प्रकार से मजाहमत पैदा की तो वादी बर्बाद हो जावेगा व उसको अपनी खातेदारी आराजी से महरूम होना पड जावेगा, वादी के भूखो मरने की नोबत आ जावेगी, हकूक वादी जायल होगें जिनकी क्षतिपूर्ति रूपयो पैसो या अन्य हकूको में नही की जा सकेगी, जिससे वादी द्वारा प्रतिवादीगण को ताफैसला मुकदमा जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाया जाना आवश्यक है जिस हेतु भी ये वाद पत्र पेश है।

उपरि

1.

2.

दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद तामील अनु0। उनके विरूद्ध इक्तर्फा कार्यवाही अमल में लाई गई।

यायाल

व

न

स

विद्वान अधिवक्ता वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान स्पष्ट किया गया कि विवादित आराजी वादी को दिनांक 31/01/1976 को आवॅटन सलाहकार समिति द्वारा आवॅटन की गई है जिस पर वक्त आवंटन से वादी काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। उक्त आराजी विवादित को वादी की गैर खातेदारी में दर्ज नही किया गया तथा आवॅटन के बाद आजतक करीब 40 साल का समय गुजर जाने के बावजूद आज दिनांक तक उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में वादी को खातेदार दर्ज कर खातेदारी अधिकार प्रदत नही किये। जिससे आज भी आवॅटित आराजी हाल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में बैखाने काश्तकार सिवायचक

उपखण्ड अधिकारी
गांधी (अलवर)

Scanned by CamScanner

लगानी दर्ज चली आती है। अतः वादी को आवंटन आदेश दिनांक 31/1/1976 के आधार पर खातेदार घोषित करने एवं दावा डिक्री करने का अनुरोध किया गया।

विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस पर गौर किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड नकल जमाबंदी सम्वत 2072–75 वाकै ग्राम माधोगढ के खाता संख्या 1 के अनुसार विवादित आराजी सिवायचक लगानी बारानी प्रथम दर्ज रिकार्ड है परन्तु आवंटन आदेश दिनांक 31/01/76 के अनुसार विवादित आराजी के साबिक ख.नं. 311 मिन रकबा 5.00 बीघा वाकै गाधोगढ वादी को आवॅटन कमैठी द्वारा आवटंन किया गया है। उक्त आवंटन आदेश की पालना में वादी को गैर खातेदार दर्ज नही किया गया। विवादित आराजी आज दिनांक तक सिवायचक के खाते में दर्ज चली आती है। उक्त विवादित आराजी पर आज भी मौके पर वादी का कब्जा काश्त हैं अब आवंटन आदेश 31/1/76 के आधार पर वादी को खातेदार घोषित करने का अनुतोष चाहा गया है परन्तु आवंटी को पहले गैर खातेदार दर्ज करना चाहिए था जिसके बाद ही खातेदारी की घोषणा किये जाने का प्रावधान है। अतः आवॅटन आदेश के अनुसार वादी को गैरखातेदार घोषित किया जाना उचित है। उपरोक्त तथ्यो के परिप्रेक्ष्य में दावा वादी डिक्री योग्य पाया जाता है।

अतः आदेश है कि दावा वादी डिक्री किया जाता है तथा वादी को आवंटन आदेश दिनांक 31/01/76 के आधार पर साबिक आ.खं. 311 मिन रकबा 5.00 बीघा हाल ख. नं. 349 रकबा 0.30 है0 352 रकबा 1.20 है0 वाकै ग्राम माधोगढ में से 1.25 है0 का गैर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार थानागाजी तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। उक्त रकबा से हाल इन्द्राज कलमजन किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 03.01.2019 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखाया गया।

कैलाश चन्द्र मीणा द्वितीय (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी थानागाजी

Scanned by CamScanner

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी, थानागाजी जिला अलवर।

पीठासीन अधिकारी :– कैलाश चन्द शर्मा द्वितीय (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 01/192

तारीख दायर :– 10/08/2018

उनवान

1. छीतर पुत्र गोरधन जाति कुम्हार निवासी ग्राम लालपुरा तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान।

–वादी।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान जिलाधीश महोदय जिला अलवर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भू–स्वामी थानागाजी तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान।

–असल प्रतिवादीगण।

‖ राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत ‖

उपस्थिति :–

1. श्री नरेश कुमार शर्मा एडवोकेट वादी।
2. कोई उप0 नही एडवोकेट प्रतिवादीगण असल।

न्यायालय द्वारा :–

पर्चा डिक्री

दिनांक:–03.01.2019

दावा वादी डिक्री किया जाता है तथा वादी को आवंटन आदेश दिनांक 31/01/76 के आधार पर साबिक आ.ख. 311 मिन रकबा 5.00 बीघा हाल ख.नं. 349 रकबा 0.30 है0 352 रकबा 1.20 है0 वाकै ग्राम माधोगढ में से 1.25 है0 का गैर

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

Scanned by CamScanner

खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार थानागाजी तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। उक्त रकबा से हाल इन्द्राज कलमजन किया जाता है।

आज दिनांक 03.01.2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गई।

कैलाश चन्द शर्मा द्वितीय (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, थानागाजी

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

Scanned by CamScanner